न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
46/20	212 RTA	केशोली	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
चन्द्रप्रकाश	बनाम	नारायण उर्फ हरनारायण 2020/00266

वकील :- R.P. Goyal Adv. **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
16/12/20	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरूद्व अप्रार्थीगण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम कैशोली तह. छबडा की विवादित आराजी खसरा नं. 43 रकबा 07 बिस्वा खसरा नं. 48 रकबा 05 बिस्वा खसरा नं. 97/1 रकबा 24 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 25 बीघा 09 बिस्वा भूमि पर दिनांक 23.12.2020 तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिवादी गणों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 23.12.2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) **उपखण्ड अधिकारी** **छबड़ा जिला बारां (राज.)**	
23/12/20	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की ओर से दस्तावेज नकल जमाबंदी सं. 2009, नकल जमाबंदी सं० 2008 एवं नकल जमाबंदी सं. 2073-76 पेश की जो शा० मि० है। पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 3/2/21 तक यथावत रहेगा। प्रतिवादीगणों की ओर से श्री विनोद भार्गव एडवो. द्वारा [illegible] पेश की है जवाब हेतु [illegible] वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 3/2/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	Vinod (हस्ताक्षर)
03/02/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गणों 1, 2 की ओर से श्री कृष्ण गोपाल भार्गव एडवोकेट का वकालत नामा पेश हुआ। जो शा० मि० है। पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 10/3/21 तक यथावत रहेगा। वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 10.3.21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

बनाम .... मु.नं. ....

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
3/03	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील द्वारा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र को आगे नहीं चलाने का निवेदन किया है। प्रार्थी चन्द्रप्रकाश स्वयं उपस्थित है तथा वकील प्रतिवादी द्वारा प्रा.पत्र पर No objection किया है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। — चन्द्रप्रकाश उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)